

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-प्रतिकर उपकर (दर) तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 709(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 59, पंक्ति 13 में, “सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” शब्दों के स्थान पर “भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जून, 2017 में सा.का.नि. 690(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) से उपाबद्ध सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम” पढ़ें ।

[फा.सं. 334/1/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार